

खारा

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्यायतुल्य समन्वय सचिवालय
(दिनांक : 24.06.2025 से 09.07.2025 तक)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सीम
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प कालादिह

79/25

30/6/25

आदेशः

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कांतादिह व मूअनि. कांतादिह को रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्रीम/नायब तहसीलदार श्रीम की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्रीम/तहसील. श्रीम व जिला. राजसमन्ध की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 173 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जानी है)
1	सम्बोरी	173	वाकसिंह फूज पुकीसिंह	नारायणसिंह फूज पुकीसिंह

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सीम
पदेन जिला-राजसमन्ध

दिनांक :- 30/6/25

कमांक :- 79/2025

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शी को सूचनार्थ।
2. प्रार्थी श्री पालना रिपोर्ट भिजवाये।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सीम
जिला-राजसमन्ध